संख्या-102/2015/आर-3014/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-34404/2014 अजब सिंह व 51 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-08.07.2014 एवं अवमानना याचिका संख्या-5759/2014 अजब सिंह बनाम श्री मुकेश मित्तल, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन में पारित आदेश दिनांक-15.10.2014 के अनुपालन में याची छात्रों की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2153/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-02.09.2015 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-08.07.2014/15.10.2014 के अनुपालन में वर्ष 2013-14 की याची शिक्षण संस्था के 23 अनुसूचित जाति छात्र-छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-22,58,600/-(रूपये बाइस लाख अट्ठावन हजार छः सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-102/2015/3014(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बरेली।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 को उनके पत्र संख्या-ई-3-रिट-15/दस-2015, दिनांक-02.09.2015 के सन्दर्भ में।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in